दिनांक 07–02–2014 को सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन/उपाध्यक्ष कार्यकारी निकाय की अध्यक्षता में एस०पी०एम०यू० की कार्यकारी निकाय की बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 07–02–2014 को सचिव, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड शासन/उपाध्यक्ष कार्यकारी निकाय, एस०पी०एम०यू० की अध्यक्षता में राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई की कार्यकारी निकाय की द्वितीय बैठक आयोजित की गयी जिसमें संलग्न विवरणानुसार कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया।

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति प्राप्त कर उपस्थित सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुये बैठक हेतु निर्धारित एजेण्डा बिन्दु सम्मानित कार्यकारिणी समिति के सम्मुख रखे, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

बिन्दु संख्या 1 : विगत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यकारी निकाय की द्वितीय बैठक दिनांक 20–11–2013 को आहूत की गई थी, जिसका कार्यवृत्त सभी सम्मानित सदस्यों को पत्र संख्या–126/(16) यूएसआरएलएम–2013 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 के माध्यम से सभी को प्रेषित किया गया है, सभी सम्मानित सदस्यों द्वारा बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

बिन्दु संख्या 2 : परियोजना प्रबन्धन इकाई की वर्ष 2013–14 की आय–व्यय का विवरण :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पी0एम0यू0 का वर्ष 2013–14 का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि वर्ष 2013–14 हेतु विभिन्न घटकों हेतु रु0 1393.884 लाख की धनराशि कार्यकारी निकाय के अनुमोदन हेतु ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजी गयी थी, जिस पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की इम्पावर्ड कमेटी द्वारा दिनांक 25–11–2013 को रु0 1106.981 लाख की

स्वीकृति प्रदान की गई है। कुल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष केन्द्रांश के रूप में प्राप्त रु0 379.76 लाख तथा एस0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत पूर्व में जनपदों को अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रु0 465.77 लाख सहित कुल रु0 845.53 लाख की धनराशि उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को प्राप्त हुई है। रु0 276.74 लाख राज्यांश के रूप में प्राप्त होनी है। माह जनवरी, 2014 तक विभिन्न मदों में रु0 55.72 लाख व्यय किये गये हैं। प्रथम किस्त की धनराशि माह जनवरी, 2014 में प्राप्त होने के कारण व्यय का प्रतिशत नहीं बढ़ पाया है। माह मार्च, 2014 तक विभिन्न मदों में रु0 220.62 लाख व्यय होने की संभावना है। समिति द्वारा उक्त आय–व्यय विवरण का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

बिन्दु संख्या–3 : आजीविका मिशन में प्रथम चरण के विकास खण्ड़ों में कार्यक्रम का क्रियान्वयन :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यकारी निकाय एवं माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुमोदनोपरान्त प्रदेश के 05 जनपदों के 10 विकास खण्ड़ों में आजीविका मिशन के अन्तर्गत सघन विकास खण्ड रणनीति के अन्तर्गत चयनित किया गया था। इन जनपदों में एवं विकास खण्ड़ों में जिला मिशन प्रबन्धन इकाई (DMMU) एवं विकास खण्ड मिशन प्रबन्धन इकाई (BMMU) का गठन करते हुए कार्मिकों को प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया गया है। प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर सी0आर0पी0 का चयन पूर्ण कर लिया गया है तथा उनके प्रशिक्षण हेतु तिथियां निर्धारित कर ली गयी हैं। प्रशिक्षण राजीव गांधी महिला विकास परियोजना (भारत सरकार द्वारा अधिकृत) द्वारा तीन चरणों में दिया जायेगा। कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु उक्त 05 जनपदों को प्रथम किस्त की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। आजीविका मिशन के मानकों के अनुसार इन जनपदों में मिशन कार्यक्रम प्रारम्भ कर लिया गया है। समिति द्वारा सुझाव दिया गया कि आजीविका मिशन के मानकों के अनुरूप कार्य यथासमय गुणवत्ता के साथ सम्पादित करवाये जायें।

(कार्यवाही :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

बिन्दु संख्या–4 : आजीविका मिषन की (2014–15) हेतु वार्षिक कार्ययोजनाः–

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014–15 हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का परिव्यय रु0 1137.33 लाख प्राप्त हुआ है। चूँकि वर्ष 2013–14 में 10 विकास खण्ड़ों हेतु रु0 1106.98 लाख स्वीकृत हुआ था। वर्ष 2014–15 में 05 नये विकास खण्ड़ों का चयन कर उनमें कार्यक्रम संचालित किया जाना है। अतः वर्ष 2014–15 हेतु कुल रु0 1717.00 लाख का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा रहा है। उक्त धनराशि में वित्तीय वर्ष 2013–14 की अवषेश धनराशि भी अग्रेसित की जा रही है। वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक कार्ययोजना का घटकवार निम्न प्रकार से है –

Rs. In Lacs

Sl.No	Activity/Item	Total
1	State & District Mission Management Unit (SPMU/DMMU)	257.64
2	Capacity Building Support (CBS))	79.50
3	Institutional building and capacity building (IB/CB)	894.36
4	Community Investment support Fund (CIF)	71.50
5	Partnership Costs	80.00
6	Innovation Forums and Action Pilots	4.00
7	Governance & Anti Corruption	5.00
8	Knowledge management & communication	25.00
9	Infrastructure & Marketing	250.00
10	Interest Subvention (Intensive+Non intensive)	50.00
Grand Total		**1717.00**

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा उपरोक्तानुसार सभी घटकों की बिन्दुवार व्याख्या करते हुए उनके अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों के सम्बन्ध में समिति के सदस्यों को अवगत कराया गया। वर्ष 2014–15 हेतु प्रस्तावित कार्य योजना का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–5 : वित्तीय वर्ष 2014–15 हेतु विकास खण्ड़ों का चयन :–

ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु द्वितीय चरण में 05 विकास खण्डों के चयन का प्रस्ताव मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा समिति के समक्ष रखा गया जिसमें जनपद पौड़ी के थैलीसैण एवं कल्जीखाल, उधमसिंहनगर के खटीमा एवं सितारगंज तथा जनपद

पिथौरागढ़ के धारचुला विकास खण्ड को सघन विकास खण्ड रणनीति (Intensive Block Stretegy) के अन्तर्गत चयनित किया गया है। इन विकास खण्डों का चयन अति पिछड़ा तथा अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र के आधार पर किया गया है। इस प्रकार प्रथम चरण के 10 विकास खण्ड़ों सहित कुल 15 विकास खण्ड़ों में आजीविका की सघन रणनीति के अन्तर्गत कार्य किये जायेंगे।

उक्त 15 विकास खण्ड़ों में से 02 विकास खण्डों में रिर्सोस ब्लाक, 02 विकास खण्ड़ों में NGO पार्टनरशिप एक विकास खण्ड में ILSP के साथ ''होम ग्रोन कन्वर्जेन्स मॉडल'' के रूप में तथा शेष 10 विकास खण्ड़ों में एस0आर0एल0एम0 की टीम द्वारा सघन रणनीति के अन्तर्गत कार्य किया जायेगा।

कार्यकारी निकाय द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की गई कि क्या CSO/NGO से सहभागिता (Partnership) हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आजीविका मिशन के अन्तर्गत सहभागिता (Partnership) में कार्य करने हेतु NGO/ संस्थाओं के प्रस्ताव प्राप्त किये जा चुके हैं। निर्धारित मानकों का परीक्षण करते हुए सम्बंधित संस्थाओं के भौतिक सत्यापन एवं साक्षात्कार हेतु इन संस्थाओं की सूची तैयार की जा रही है। एन0एम0एम0यू0, भारत सरकार की प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि 13 फरवरी, 2014 को आयोजित एन0एम0एम0यू0 की एम्पावर्ड कमेटी (Empowered Committee) की बैठक से पूर्व सभी चयनित संस्थाओं की सूची ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भी उपलब्ध करायी जाय। Partnership के चयन हेतु संस्थाओं के लिए पूर्व में रखी गई 1000 स्वयं सहायता समूहों के गठन की अनिवार्यता को उत्तराखण्ड की परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए संशोधित करने की आवश्यकता है। उक्त के स्थान पर 500 स्वयं सहायता समूह मानते हुए शिथिलता प्रदान करते हुए भारत सरकार से अनुरोध कर लिया जाय। एन0एम0एम0यू0 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से एस0आर0एल0एम0, उत्तराखण्ड की ऐंकर प्रबन्धक श्रीमती पूनम पाठक द्वारा अवगत कराया गया कि अन्य प्रदेशों में भी रिर्सोस ब्लाक के रूप में एन0आर0ओ0 द्वारा कार्य किया जा रहा है। उचित होगा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक स्थिति के अनुरूप रिसोर्स ब्लाक के स्थान पर क्लस्टर रिर्सोस के आधार पर कार्य किया जाय। उक्तानुसार प्रस्ताव समिति द्वारा अनुमोदित किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रस्ताव का परीक्षण कर सूची एन0एम0एम0यू0, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

बिन्दु संख्या–6 : द्वितीय चरण के विकास खण्डों/जनपदों हेतु पदों की संरचना :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि राज्य में ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वितीय चरण के क्रियान्वयन हेतु 05 विकास खण्ड़ों में पूर्व की भांति 15 विषय विशेषज्ञ (प्रत्येक विकास खण्ड 3) की तैनाती की जानी है तथा राज्य, जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर वित्तीय समावेशन हेतु एक एस0पी0एम0 (F.I.) तथा प्रति जनपद 02 विषय विशेषज्ञ क्रमशः डी0पी0एम0 (F.I.) तथा डी0पी0एम0 (IB/CB) के पदों पर तैनाती की जानी आवश्यक है।

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय समावेशन की सुविधा दिया जाना आवश्यक है तथा विभिन्न बैंकों से समन्वय भी स्थापित किया जाना है। निर्देश दिये गये कि फाइनेशियल इन्क्ल्यूजन (F.I.) के पदों पर बैंकों के सेवानिवृत्त अधिकारियों को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से तैनात किया जाय। जनपद एवं विकास खण्ड़ों हेतु अन्य विषय विशेषज्ञों की तैनाती हेतु विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि एन0एम0एम0यू0, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से उपरोक्त विषय विशेषज्ञों की तैनाती वाई0पी0 (Young Professional) के रूप में करवायी जाय, जिस पर बैठक में उपस्थित ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की प्रतिनिधि द्वारा भी यथोचित कार्यवाही करने हेतु आश्वस्त किया गया।

(कार्यवाही :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

बिन्दु संख्या–7 : पी0एम0यू0 के पदों का आजीविका स्किल के क्रियान्वयन हेतु लिया जाना :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आजीविका स्किल के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा पृथक से मुख्य क्रियान्वयन अधिकारी (C.O.O.) द्वारा कार्यक्रम संचालन के निर्देश दिये गये हैं। चूँकि राज्य सरकार द्वारा अधिक पद सृजित नहीं किये जा रहे

हैं। अतः अवगत कराया गया कि एफ0आर0डी0सी0 शाखा के अन्तर्गत पूर्व में गठित परियोजना प्रबन्धन इकाई द्वारा राज्य के नव युवकों को कौशल विकास एवं क्षमता विकास कर आश्वस्त रोजगार उपलब्ध कराने एवं ग्रामीण क्षेत्र में आवासित बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवारों के आजीविका संवर्द्धन हेतु एस0जी0एस0वाई0 के विशिष्ट परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सृजित परियोजना प्रबन्धक के पदों को राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत संचालित आजीविका स्किल सेल (Aajeevika Skill Cell) (नवीन पदों की संरचना के स्थान पर) के क्रियान्वयन हेतु आमेलित किया जा सकता है, इससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त पद सृजित किये जाने का व्यय भार नहीं होगा साथ ही पूर्व से तैनात कर्मियों के अनुभव, कौशल एवं दक्षता का बेहतर उपयोग आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु सार्थक होगा। स्वीकृत पदों को आजीविका स्किल सेल (Aajeevika Skill Cell) में अधिकृत करते हुए पूर्व की भांति अवमुक्त धनराशि को यथावत उपयोग में लिये जाने के प्रस्ताव का कार्यकारी निकाय द्वारा अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

8. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त मॉडल H.R. Manual को USRLM में लागू/अंगीकृत किया जाना :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से H.R. Manual का मॉडल प्रेषित करते हुए राज्यों के अपने अनुरूप H.R. Manual तैयार करने के निर्देश दिये गये हैं। मॉडल H.R. Manual के अनुसार विषय विशेषज्ञों हेतु सम्बंधित क्षेत्र के विषयों में अर्हता रखने वाले अभ्यर्थियों का चयन लिखित एवं साक्षात्कार के आधार पर निम्न मानकों के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है :–

1. ज्ञान (Knowledge)
2. दक्षता (Skill)
3. रवैया अथवा अभिबृत्ति (Attitude)
4. मूल्य (Value)

किन्तु ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन पदो ंके चयन हेतु समिति बनायी गई तथा पत्र संख्या–394/XI/14/53 (45)/2013 दिनांक 31 जनवरी, 2014 के द्वारा मैरिट के आधार पर चयन किये जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। सम्यक विचारोपरान्त अध्यक्ष महोदय द्वारा शासनादेश के अनुरूप चयन किये जाने के निर्देश दिये गये तथा Deselection पॉलिसी को भी अपनाये जाने के निर्देश दिये गये। जिला ग्राम्य विकास अभिकरण तथा पी0एम0यू0 में तैनात कार्मिकों को लिये जाने हेतु फिटमेन्ट पॉलिसी के अनुसार कार्यवाही शीघ्र करने के निर्देश भी दिये गये। कार्मिकों का चयन होने के उपरान्त उनका Immersion किया जायेगा तथा उपयुक्त

न पाये जाने पर सम्बंधित अभ्यर्थी/कर्मी की Deselection की कार्यवाही भी जायेगी। विचार–विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा उक्तानुसार H.R. Manual तैयार करने हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिये गये तथा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

बिन्दु संख्या–9 :– सी0आर0पी0 तथा मिषन के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मियों के Immersion, Induction एवं Exposure Visit तथा प्रषिक्षण हेतु क्षमता विकास एजेन्सी के साथ MoU :–

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत गठित NMMU ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में सामुदायिक मानव संसाधन विकास के कौशल एवं क्षमता विकास तथा उनके Immersion, Induction एवं प्रशिक्षण हेतु चयनित क्षमता विकास एजेन्सी (CBA) राजीव गांधी महिला विकास परियोजना, रायबरेली के साथ MoU किया जाना है। अवगत कराया गया कि उत्तर पश्चिमी भारत के 04 राज्य यथा जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा द्वारा अपने राज्य में कर्मियों एवं सी0आर0पी0 के Immersion, Induction एवं Exposure Visit की कार्यवाही उक्त संस्था के माध्यम से की जा रही है। उक्त संस्था के साथ Immersion, Induction एवं Exposure Visit के लिए अनुबन्ध किये जाने हेतु MoU के ड्राफ्ट को परीक्षणोपरान्त एन0एन0एम0यू0 ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भी प्रेषित किया गया है। राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना द्वारा क्रियाकलापवार निम्नानुसार दरें प्रस्तावित की गई हैं :–

1. स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण एवं यात्रा भ्रमण हेतु (स्थानीय यात्रा, भोजन, आवास, स्टेशनरी आदि सम्मिलित करते हुए)	रु0 1500 प्रति
2. पंचायत प्रतिनिधियों/राज्य प्रतिनिधियों हेतु 5 दिवसीय Immersiom/ अध्ययन भ्रमण	रु0 2700 प्रति
3. उत्तराखण्ड राज्य आजीविका मिशन में राजीव गाँधी महिला विकास परियोजना के सदस्यों का भ्रमण, आवास/यात्रा एवं संसाधन पर व्यय (एकमुश्त)	रु0 5,00,000
4. कम्प्यूनिटी रिसोर्स पर्सन्स (4 से 6 राउण्ड) कुल 120 सी.आर.पी. के 180 दिन उत्तराखण्ड में रहने, खाने, स्थानीय भ्रमण, आने–जाने तथा अन्य व्यय हेतु (रु0 833 प्रतिदिन कुल 180 दिन हेतु)	रु0 29,98800

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन भारत सरकार की प्रतिनिधि श्रीमती पूनम पाठक द्वारा अवगत कराया गया है कि इसी प्रकार के MoU हिमाचल प्रदेश के साथ भी किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त MoU की निबन्धन एवं शर्तें (Term & Condiction) एन0एम0एम0यू0, भारत सरकार द्वारा अधिकृत NROs के अनुरूप पायी गई है। जिसे सम्मानित सदस्यों के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। कार्यकारी निकाय द्वारा उपरोक्त वर्णित प्रस्ताव को उचित मानते हुए क्षमता विकास ऐजेन्सी (C.B.A.) के साथ MoU किये जाने हेतु ड्राफ्ट का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही :– प्रबन्ध निदेषक, आर0जी0एम0वी0पी0 /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

बिन्दु संख्या–10 : आजीविका मिषन से सम्बद्ध C.R.P, P.R.P तथा कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का दुर्घटना बीमा (Insurance) किया जाना :–

अवगत कराया गया कि यू0एस0आर0एल0एम0 द्वारा आजीविका मिशन के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा सी0आर0पी0/पी0आर0पी0 को विभिन्न राज्यों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर प्रतिभाग किये जाने हेतु भेजा जायेगा। अतः विभिन्न अध्ययन भ्रमण, गोष्ठियों, कार्यशालाओं में प्रतिभाग किये जाने तथा कार्यक्रम संचालन के दौरान सी0आर0पी0 अथवा कर्मी की मत्यु अथवा अपंगता होने की स्थिति में उन्हें आकस्मिक दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत आच्छादित किया जाना उपयुक्त होगा। विचार विमर्श के उपरान्त समिति द्वारा उक्त बीमा करवाये जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

बिन्दु संख्या–11 : I.E.C. हेतु परामर्शदाता/परामर्शदात्री संस्था (Consultancy Agency) लिया जाना :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि आजीविका मिशन के क्रियान्वयन में व्यापक सूचना एवं प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न प्रकार के साहित्य, सामग्री, पोस्टर, विज्ञापन, पम्पलेट, लीफलेट आदि को तैयार किये जाने हैं, जिसके लिए एक दक्ष परामर्शदाता एवं परामर्शदात्री संस्था को लिये जाने का प्रस्ताव है। इस हेतु नियमानुसार समाचार पत्र/पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रकाशित करवाया जायेगा। कार्यकारिणी द्वारा प्रस्ताव औचित्यपूर्ण मानते हुए अनुमोदित किया गया।

(कार्यवाही :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

12. उत्तराखण्ड सूक्ष्म वित्त एवं आजीविका विकास संस्थान की सेवायें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) हेतु लिये जाने पर विचार–विमर्शः–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत पूर्व में गठित **उत्तराखण्ड सूक्ष्म एवं आजीविका विकास संस्थान** जिसका मुख्य उद्देश्य एस0जी0एस0वाई0 एवं विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के स्वरोजगारियों को वित्तीय समावेशन (Financial Inclusion) किया जाना था। चूँकि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय समावेशन की सुविधा दिया जाना आवश्यक है तथा विभिन्न बैंकों से समन्वय भी स्थापित किया जाना है, इसलिए पूर्व में गठित उत्तराखण्ड सूक्ष्म वित्त एवं आजीविका विकास संस्थान की सेवायें यू0एस0आर0एल0एम0 तथा आई0एल0एस0पी0 के क्रियान्वयन हेतु ली जानी आवश्यक हैं। अतः UMFI में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की सेवाओं का उपयोग राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के क्रियान्वयन हेतु किया जाना अपेक्षित है। समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड सूक्ष्म एवं आजीविका विकास संस्थान से अपेक्षा की गई वे वित्तीय समावेशन हेतु सूक्ष्म एवं आजीविका विकास संस्थान को सुदृढ़ करते हुए एस0आर0एल0एम0 को सहयोग करें तथा आई0एल0एस0पी0 को भी समय–समय पर यथोचित सहयोग करते रहें।

(कार्यवाही :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

अन्य विषयः– (1) एस0आर0एल0एम0 में तैनात अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता/उपार्जित अवकाश/पेंषन अंषदान/चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता/समाचार पत्र/पत्रिका की सुविधा दिया जाना :–

मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति भत्ता/उपार्जित अवकाश/पेंशन अंशदान/चिकित्सा प्रतिपूर्ति भत्ता/समाचार पत्र/पत्रिका की सुविधायें उपलब्ध करायी जायें। प्रस्ताव पर IFAD सहायतित ILSP के परियोजना निदेशक द्वारा भी अवगत कराया गया कि शासनादेशानुसार वाह्य सहायति परियोजनाओं, निगमों, उपक्रमों, परिषदों तथा स्वायत्त संस्थाओं में उक्त सुविधा देय है। राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई/यू0एस0आर0एल0एम0 राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई के अन्तर्गत कार्य कर रही है तथा राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। प्रतिनियुक्ति भत्ता दिये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देश दिये गये कि प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाय।

(कार्यवाही :– मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यू0एस0आर0एल0एम0)

(2) उपरोक्त के अतिरिक्त कार्यकारी निकाय द्वारा बैठक में निम्नलिखित बिन्दुओं पर चर्चा की गई :–

(क) आजीविका मिशन के अन्तर्गत दिये जाने वाले कौशल प्रशिक्षण हेतु कम्पनियों की मांग पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाय, ताकि प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें आजीविका हेतु अवसर प्राप्त हो सके। इसके लिए महाप्रबन्धक सिड़कुल एवं अपर सचिव, उद्योग के साथ बैठक कर आवश्यक कार्यवाही जाय।

(ख) पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए कौशल प्रशिक्षण के अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर उपलब्ध क्रियाकलापों के अन्तर्गत आधुनिक एवं उपयोगी क्षेत्रों में इलैक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, प्लम्बर, फीटर एव अन्य पर्यटक गाइड आदि में प्रशिक्षित किया जाय, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर प्राप्त हो सकें।

(ग) आजीविका कौशल प्रशिक्षण हेतु कम्पनियों को भी पी0आर0आई0 बनाया जा सकता है, इसके लिए प्रदेश में अवस्थित कम्पनियों के कार्यकारी अधिकारियों से समन्वय स्थापित किया जाय।

बैठक के अन्त में उपस्थित कार्यकारी निकाय के सभी सम्मानित सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए बैठक का समापन किया गया।

ह/–

(विनोद फोनिया)
सचिव/उपाध्यक्ष कार्यकारी निकाय
राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई
उत्तराखण्ड।

संख्या /(16) यूएसआरएलएम/2013 दिनांक फरवरी, 2014

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वरिष्ठ निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, ग्राम्य विकास, वित्त, नियोजन, कृषि, महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यान, पंचायतीराज, उद्योग एवं श्रम, उत्तराखण्ड शासन।
3. समस्त सम्मानित सदस्य, कार्यकारी निकाय, एस.पी.एम.यू. ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड।
4. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. कार्यकारी निदेशक, एस0आर0टी0टी0, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, आर0जी0एम0वी0पी0, रायबरेली, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाईल।

ह/–

(एच0बी0थपलियाल)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
यू0एस0आर0एल0एम0

दिनांक 07–02–2014 को सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आयोजित राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई की कार्यकारी निकाय की बैठक का उपस्थिति विवरण

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री एस.सी.सेमवाल,	अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
2.	श्री अर्जुन सिंह	अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन
3.	सुश्री पूनम पाठक	सीनियर मिशन एक्जीक्यूटिव MoRD GoI
4.	श्री एच0बी0 थपलियाल	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, USRLM
5.	श्री विजय कुमार	मुख्य परियोजना निदेशक, IFAD-ILSP
6.	डॉ0 प्रेम लाल	निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड
7.	श्री टिकम सिंह पंवार	निदेशक, जनजाति विकास, उत्तराखण्ड
8.	श्री सुशील कुमार	निदेशक, श्रम, उत्तराखण्ड
9.	श्री जुगल किशोर	ए0जी0एम0 नाबार्ड, उत्तराखण्ड
10.	श्री भगत सिंह	ए0जी0एम0, एस0एल0बी0सी0
11.	श्री एस0सी0 शर्मा	अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, USRLM
12.	श्री आशीष पुनेठा	राज्य प्रबन्धक, वित्त एवं प्रोक्यूरमेन्ट USRLM
13.	श्री एस0सी0नौटियाल	सहायक निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड
14.	श्रीमती वन्दना सिंह	उप निदेशक, समाज कल्याण, उत्तराखण्ड शासन
15.	श्री एम0एस0तोमर	उप निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड
16.	श्री पवन कुमार	सी0ई0ओ0 / सी0पी0एम0 IFAD-ILSP
17.	श्री सहजाद कुमार	प्रबन्धक, आर0बी0आई0, देहरादून
18.	डॉ0 प्रभाकर बेबनी	राज्य कार्यक्रम समन्वयक, USRLM
19.	श्री रविकान्त पाण्डेय	राज्य परियोजना प्रबन्धक, USRLM